संख्या-4/2019/1221/बीस-13-वि0-2019-10(विविध)/2012

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषयः- शासनादेश को आनलाइन निर्गत किये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-848/बीस-13-(विविध)-2019-04(विविध)/13, दिनांक 20.06.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तकनीकी खराबी के कारण दिनांक 12.06.2019 से वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in क्रियाशील न रहने के कारण शासनादेशों को उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाना संभव नहीं था। उक्त के दृष्टिगत यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि शासन के अग्रिम आदेशों तक समस्त विभागों द्वारा भौतिक रूप से निर्गत शासनादेशों को वैध समझा जायेगा तथा वेबसाइट के क्रियाशील होने के उपरान्त दिनांक 12.06.2019 के पश्चात भौतिक रूप से निर्गत शासनादेशों को क्रमवार अपलोड किया जायेगा।

2- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासनादेश वेबसाइट क्रियाशील हो गया है। अतएव इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 20.06.2019 को अपास्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेशों को आनलाइन निर्गत करने व इण्टरनेट पर अपलोड करने सम्बन्धी पूर्व में निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा दिनांक 12.06.2019 के पश्चात भौतिक रूप से निर्गत शासनादेशों को क्रमवार वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश वेबसाइट पूर्व में एन०आई०सी० के डाटा सेन्टर के यूआरएल:-http://shasanadesh.up.nic.in पर संचालित था जो स्टेट डाटा सेन्टर पर माइग्रेट कर लिये जाने के फलस्वरूप यूआरएल-http://shasanadesh.up.gov.in पर संचालित होगा।

कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ/विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-4/2019/1221 (1)/ बीस-13-वि0-2019-10(विविध)/2012 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से ,

(अजय कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।